रजिस्टर्ड नं०-एल०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिना प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 8 मार्च, 2014 ई० (फाल्गुन 17, 1935 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ० प्र०, लखनऊ

आदेश

16 जनवरी, 2014 ई०

सं० 2793-280/अधि०/ग्रा०वि०बैंक/2013-14—मैं, देवाशीष पण्डा, न्यासधारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ, इस बैंक के पत्रांक 65085-87/ऋण-पत्र/2013-14, दिनांक 02 जनवरी, 2014 के सन्दर्भ में उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 01/49-1-14-स०-8/07, दिनांक 01 जनवरी, 2014 में निहित स्वीकृति के अनुसार उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम की धारा 8(क) के अन्तर्गत न्यासधारी उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ में निहित अधिकारों से उक्त शासनादेश दिनांक 01 जनवरी, 2014 की शर्तों के अधीन एतद्द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 तक की अवधि में रु० 1,000.00 करोड़ (रुपये एक हजार करोड़) मात्र के ऋण-पत्रों के निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से वित्त आहरित करने की स्वीकृति प्रदान करता हूं।

बैंक यह सुनिश्चित करेगी कि नियमानुसार वित्तीय अनुशासन बनाये रखे तथा नाबार्ड से प्राप्त ऋण राशि की किश्तों का समय से भुगतान सुनिश्चित करे।

देवाशीष पण्डा,
न्यासधारी,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
लखनऊ
एवं
आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

कार्यालय, निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, विभूति खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ

24 जनवरी, 2014 ई०

सं० 1065-मु०/चौतीस-71—शासनादेश संख्या वे०आ०-2-796/दस-62(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 31 मई, 2011 में निहित निर्देशों के अधीन इस निदेशालय के विद्युत अवर अभियन्ता, जिन्होंने 16 वर्ष या अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है, एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3, रु० 15,600-39,100 तथा अगला ग्रेड वेतन रु० 6,600, कार्यालय आदेश संख्या 112-मु०/चौतीस-71, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है, को एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

सचिव, बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली
Board of Higher Secondary Education, Delhi

अन्तर्गत मान्यता परिपत्र सं॰ F-46-1/68-S.U
भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
05 मार्च 2014 ई॰

सं0 बी0एच0एस0ई0दि0/उ0प्र0/अधिसूचना-52/2014-दिनांक 05 जनवरी, 2012 की हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली का रजिस्टर्ड कार्यालय गोपालपुर, दिल्ली किन्ही कारणों वस बन्द होने के कारण वर्तमान में बोर्ड का केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय कार्यालय अल्कापुरी (गायत्रीपुरम), आर॰ के॰ ट्रस्ट, कुर्सी रोड, लखनऊ एवं प्रधान कार्यालय भवन- लक्ष्मीनगर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। बोर्ड के दोनों कार्यालय का उद्‌घाटन माननीय मंत्री जी डॉ॰ आशोक बाजपेयी (पूर्व शिक्षा मंत्री) उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्त्तमान में बोर्ड का संचालन लक्ष्मीनगर दिल्ली, भारत से ही किया जायेगा। यहीं से बोर्ड के छात्र/छात्राओं की अंक सूची, प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जायेगा।

बोर्ड ऑफ हायर एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकेण्डरी (दसवीं) सीनियर (बारहवीं) एवं प्राविधिक परीक्षाओं को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग), दिल्ली ने अपने पत्रांक संख्या एफ-46-1/ एस॰ यू॰ दिनांक- 28 जनवरी' 1964 में मान्यता प्रदान की और मान्यता परिपत्र सभी केन्द्र शासित प्रदेश/ राज्य सरकारों को सूचना प्रेषित कर दी गयी। बोर्ड की परीक्षाएं अग्रिम शिक्षा में प्रवेश एवं सरकारी सेवाओं में मान्य किया है। सभी केन्द्र शासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों ने बोर्ड की परीक्षाओं को अपने बोर्ड/ परिषद, काउंसिल/ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने अपने पत्रांक संख्या-4-7 एन॰ सी॰ पी॰ एस॰ एल॰/ 2012-13, दिनांक- 18 जुलाई'2012 में बोर्ड को सिंधी भाषा हेतु अधिकृत किया है।)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन दिल्ली की हयर सेकेण्डरी परीक्षा को अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की है और बोर्ड के छात्रों को परिषद् ने अपने विद्यालयों की ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रदान की है और बोर्ड की सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा को भी राज्य सरकारों के परिषद् (बोर्ड) की बारहवीं परीक्षा के समकक्ष है। मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट-1921 के अध्याय चौदह के विनियम 2 (29) 38 में उल्लेखित है।

माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को बोर्ड की समकक्ष मान्यता एवं परिषद् के विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्देश किया है।

बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली प्रमाण-पत्रों की मान्यता अग्रिन शिक्षा में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में सेवा से होगी। बोर्ड द्वारा सभी विषयों एवं भाषाओं में संस्थागत, व्यक्तिगत एवं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जायेगी। बोर्ड द्वारा हायर सेकेण्डरी (दसवीं) सीनियर सेकेण्डरी (बारहवीं) एवं प्राविधिक परीक्षाएं करायी जायेंगी। परीक्षाओं का प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा व बोर्ड द्वारा शिक्षा केन्द्र स्थापित व सम्बद्ध भी जायेगी। बोर्ड (संस्था) एक वैधानिक संस्था है। संस्था को संगठन भारतीय न्यास अधिनियम-1882 के तहत किया गया है और भारतीय निबंधन अधिनियम-1908 के तहत सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण दिल्ली सरकार कश्मीरीगेट से रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन न॰-275 है।

बोर्ड का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19, 21, 22, 28, 30 के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के रुप में हुआ है। संस्था सभी राज्य सरकार व प्रशासन के अधीन नहीं होगी। संस्था में अपने संविधान के नियम ही लागू होगें। जिन्हें संशोधन करने का अधिकार संस्था संस्थापक एवं मुख्य न्यासी (सर्वोच्च) एवं श्री रवि प्रताप सिंह अध्यक्ष को ही है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश व जिला विद्यालय निरीक्षक या सरकार या सरकार का कोई अधिकारी/ कर्मचारी संस्था बोर्ड के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोर्ड की 2014 की परीक्षाएं 24 मार्च 2014 से प्रारम्भ होगी और 03 अप्रैल' 2014 को समाप्त होगी। सन्- 2013-व 2014 की परीक्षाओं के परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह चौहान (आर॰ एस॰ चौहान) हैं। आर॰ एस॰ चौहान के हस्ताक्षरों से ही अंक सूची / प्रमाण-पत्र जारी है / बोर्ड की वैधानिक वेबसाईट- www.bhsenewdelhi.org. है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (कोबसे) दिल्ली को बोर्ड की सिफारिश भेज दी गयी है कि कोबसे बोर्ड को अपना सदस्य बनाये जो सदस्यता शुल्क है बोर्ड से प्राप्त कर सूची व दूरभाष पुस्तिका में बोर्ड का नाम सम्मिलित करें। संयुक्त सचिव (प्रशासनिक) द्वारा सूचित जारी की जाती है।

एस॰ के॰ सिंह

Govt. of Delhi Regd No. 1135 (India)
www.bhsedelhi.org
Emal.bhsedelhi@in.com

(Government Recognised)

(Fax-011-22376692-9213557129) Govt. Regd Off.
(Fax-011- 27651993,27651992- 9213556671) Head Off
(Fax-0565-2433432-09319345041-9319350473) Mathura

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली
BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUACATION, DELHI

(भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कार्यालय भवन 312 गली नं0 11 कड़कड़डूमा गांव (सामुदायिक भवन) दिल्ली–92
मुख्यालय राजपूताना भवन गोपालपुर गाँव (तिमारपुर) पो0 आजादपुर दिल्ली–9

क्रमांक [illegible] /मान्यता/प्रशासनिक 2121/09 दिनांक 16/1/09

सेवा में,
[illegible]
[illegible]
शास्त्री भवन नई दिल्ली

16/1/09
348

<u>विषय</u> –: बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली की माध्यमिक (हाईस्कूल) हायर सेकण्डरी/एवं सीनियर सेकण्डरी (10+2) टैक्नीकल/ वोकेशनल एक वर्षीय एवं तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की मान्यता के बारे में

माननीय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली द्वारा माध्यमिक(हाईस्कूल) हायर सेकण्डरी/सीनियर सेकण्डरी (10+2) एवं हायर सेकण्डरी प्राविधिक/ वोकेशनल एक वर्षीय एवं तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।टैक्नीकल/पालीटेक्निक/चिकित्सीयी/व्यवसायिक/वोकेशनल /बी. टी. सी. पी. बी. टी./डी. ई. डी./सी.पी.एड./ बी.पी.एड./बी.एड. आदि पाठ्यक्रम हैं। अन्य पाठ्यक्रम न्यास बोर्ड संविधान डीड पंजीकरण स. 5,729 एवं 1135 आदि डीडों में उल्लेखित हैं।

बोर्ड की परीक्षाओं को भारत सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों एवं बोर्डों/विश्वविद्यालयों/रोजगार निदेशालयों से मान्यता प्राप्त है

माननीय जी से निवेदन है कि बोर्ड द्वारा संचालन परीक्षाओं को पुनः प्रमाणित कर मान्यता का पत्र देने की कृपा करें।

पत्र जितेन्द्र सिंह राघव चैयरमैन बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली मुख्यालय राजपुताना लाल भवन गोपालपुर गाँव (तिमारपुर) पो. आजादपुर दिल्ली-9 नाम व पते पर देने की कृपा करें।

आदर सहित

भवदीय

J. S. Raghav

नोट–भारत सरकार /केन्द्रीय शासित प्रदेश एवं
<u>राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/रोजगार</u>

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI - 110 001

o. : 1812/2009/SKT-1

Date : 29/06/2009

o

Sunil Kumar,
-J-18 Jawahar Nagar,
Sri Ganganagar.

Sub.:- Information under R.T.I. Act 2005.

Sir,

With reference to your letter No. Nil dated 20-6-2009 recognition of Board of Higher Secondary Education, Delhi is a Certified Institute from 28th February, 1964.

This board is recoginzed for employment under Central/State Government/Union Territory Government/Administration and for Education/Higher Education in Indian Boards/Universities.

Yours faithfully

(Bata Kishore Roy)
(Under Secretary of the Govt. of India)
Tel.: 23081783

Copy of information already sent to Education Secretaries of all the State Governments. Union Territory Governments/Administrative Departments. (NIOS. C.B.S.E. New Delhi) and Registrars of all Universities.

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल

Council of Boards of School Education in India

6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi-110034

Vineet Joshi, IAS
President
(011) : 22467263

Prof. D.V. Sharma
General Secretary
Off. (011) : 27351264
Res. (011) : 27311929

Ref. No.COBSE/C.69/2012

13 July 2012

The Secretary
Board of Higher Secondary Educatio[illegible] Delhi
Rajputana Lal Bhavan
Gopalpur, Timarpur, PO Azadpur
Delhi-110009.

Subject: Application for membership of COBSE

Sir,

This is to acknowledge receipt of your letter No. BHSE.Del/Reg.Adm./15/012 dated 01.05.2012 for grant of membership of Council of Boards of School Education in India (COBSE).

You are requested to furnish the following information to enable us to process your application:

1. Copy of Memo of Association/Trust Deed, Rules & Regulations of the Society
2. Complete postal address and email ID of the Board
3. Name of the Chairman/President, telephone numbers (office & residence), and fax number
4. Name of the Secretary with telephone numbers (office & residence)
5. Any other officer (viz. Director Academic, Controller of Exams) with telephone numbers
6. Name of the examinations conducted by the Board at secondary/and or secondary level
7. Details of other activities regarding development of curriculum, textbooks
8. System/norms of affiliating schools
9. Examination conducted this year and analysis of the results
10. Demand Draft for Rs.1,000/- drawn in favour of General Secretary, COBSE towards processing charges of the application.

Council of Boards of School Education in India (COBSE) grants membership to boards/institutions that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by an Executive Order of the Central/State government, and should be following the National Curriculum Framework, 2005/CBSE.

Kindly note that once membership is granted to your Board, you would be required to pay annual subscription of Rs.50,000/- subject to revision as decided by the General Body of COBSE.

Yours sincerely,

(D.V. Sharma)
General Secretary

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 2ND FLOOR, 5-SHAM NATH MARG, DELHI-110054

66

No. DHE 6(65)/2014-15/Complaints/pt.file/ 3494-98

Dated: 2

To

1. The Registrar, Guru Govind Singh Indraprastha University, Sector-16C, Dwarka, New Delhi.	2. The Registrar, Dr. B.R. Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006.
3. The Registrar, National Law University Sector-14, Dwarka, New Delhi.	4. The Registrar, Delhi University, Chhatra Marg, Maurice Nagar, Delhi-110007.

Sub: Forwarding of request to circulate amongst the related Universities.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a letter received from Dy. Secretary, Board of Higher Secondary Education, Delhi requesting therein to circulate amongst the Universities for acceptance of students pass out from their board for admission, the same is being forwarded for action in the matter at your end.

You are requested to inform the applicant accordingly.

Encl: As above.

Yours faithfully,

ADMINISTRATIVE OFFICER-I(HE)
o/c

Copy to:

The Dy. Secretary, Board of Higher Secondary Education, Regional Building No.176/1, Purana Killa (Nahar), Lacknow, U.P.226001.

COPY OF

No. F.46-1/66-S.V.
Government of India ,
Ministry of Education,
(department of Education)

New Delhi. dt. the 28th January 1964 .

From :

Sh.P.N. Dhir ,
Deputy Secretary tothe government of India .

To.

The Secretary ,
Board of Higher secondary education Delhi.
Head office Rajputana Lal Bhawan Gopalpur Gaon Delhi.

Subject : Recognition of High school (secondary) Higher secondary / senior secondary and Higher secondary Technical examination. Course issued by Board of Higher secondary educatio, Delhi.

Sir,

With reference to your letter no. D.H.S.E. Delhi-1828/ 63, dt. 28.10.1963 , I am directed to say that the High school (secondary) / Higher secondary / senior secondary and Higher secondary Technical examination one year and three years course awarded by a board and established by or under an Act. are automatically recognized for employment under Central/ state government / Union Territory Government/ Administrations and for education/ Higher education in Indian boards/ Universities, Board of Higher secondary Education, Delhi.

High School (Secondary) Higher secondary /senior Secondary and Higher secondary Technical stand automatically recognized .

Yours Faithfully.

Sd/-

(P.N. Dhir)
Deputy Secretary.

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन +91-612-2520960, फैक्स +91-612-2535930, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

संचिका संख्या – ICDS/30025/09-2014 545 दिनांक – 20/01/2014

प्रेषक,

निदेशक
आई.सी.डी.एस.

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
कटिहार

विषय – सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 153/2013 में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग – आपका पत्रांक 1420 दिनांक 25.11.2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 153/2013 में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से आई.सी.डी.एस. निदेशालय को भी अवगत करायें।

विश्वासभाजन

निदेशक
आई.सी.डी.एस.

समाहरणालय, कटिहार

(जिला प्रोग्राम प्रशाखा)

–आदेशः–

बाल विकास परियोजना कुर्सेला, कटिहार के आंगनबाड़ी केन्द्र पश्चिम टोला, केन्द्र संख्या–58 पर दिनांक 23.06.2013 को आयोजित वार्ड की आम सभा में श्रीमती पम्मी कुमारी, पति–श्री अरूण कुमार ठाकुर के सेविका के पद पर चयन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–153/2013 में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती रंजू देवी, पति–श्री नरेश कुमार मंडल, साकिन– कुर्सेला पश्चिम, कुर्सेला के अभ्यावेदन पर तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में मामले की सुनवाई की गई। जांचोपरांत पाया गया कि श्रीमती रंजू देवी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्डरी ऐजूकेशन, दिल्ली संस्था द्वारा प्रदत्त है। उपनिदेशक (प्राथमिक शिक्षा) बिहार पटना के पत्रांक 993 दिनांक 23.06.2010 माननीय उच्च न्यायालय में दायर एम0जे0सी0 संख्या–1728/2009 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2009 एवं प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–998 दिनांक 05.08.2010 द्वारा निर्गत आदेश पत्र के आलोक में बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्डरी ऐजूकेशन, दिल्ली मान्यता प्राप्त संस्था नहीं रहने के कारण सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4.1 के आलोक में सेविका नियोजन हेतु अधिक प्राप्तांक रहने पर भी श्रीमती रंजू देवी का चयन वार्ड की आम सभा में नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान श्रीमती रंजू देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–153/2013 पीयूष कुमार भारती एवं कुमारी आरती अनामिका बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति समर्पित किया गया, जिसमें संबंधित संस्था को मान्यता प्राप्त होने का उल्लेख दर्ज करते हुए न्यायादेश निर्गत है, वर्णित स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक–1420/प्रो0 दिनांक 25.11.2013 द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0 से मार्गदर्शन की मांग की गई। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना के पत्रांक–445 दिनांक 20.01.2014 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–153/2013 में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु निदेशप्राप्त हुआ। अतएव विभागीय पत्रांक–2354 दिनांक 17.05.2013 द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत चयनित सेविका श्रीमती पम्मी कुमारी, पति–अरूण कुमार ठाकुर को सेविका पद से चयनमुक्त किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुर्सेला निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना के पत्रांक–445 दिनांक 20.01.2014 द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–153/2013 में दिनांक 24.01.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित मामलें में विधिसम्मत कार्रवाई करने के प्राप्त निदेश (प्रति संलग्न) के आलोक में वर्णित केन्द्र के सेविका पद के उम्मीदवारों की प्रकाशित मेधा सूची में श्रीमती रंजू देवी, पति– श्री नरेश कुमार मंडल का नाम सम्मिलित करते हुए नियमानुसार योग्य अभ्यर्थी को सेविका पद पर चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

30/8/14

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
कटिहार।

30/8/14

ज्ञापांक 1685/प्रो0, कटिहार दिनांक 30/8/2014।

प्रतिलिपि – श्री रंजू देवी, पति– श्री नरेश कुमार मंडल, साकिन– कुर्सेला पश्चिम, प्रखण्ड –कुर्सेला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्रीमती पम्मी कुमारी, चयनमुक्त आंगनबाड़ी सेविका, केन्द्र संख्या–58, पश्चिम टोला कुर्सेला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुर्सेला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित, निदेश है कि उक्त आदेश का तामिला सभी संबंधितों को करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, कटिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि – निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

30/8/14

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
कटिहार।

30/8/14

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्याः ई–4561 / 32 जी0एस0 / 2015(MI)

दिनांकः 20/07/ 2015

प्रेषकः

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा सर्टिफिकेटों को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों मे स्नातक कोर्सो में प्रवेश हेतु शासनादेश करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उप सचिव बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली प्रधान कार्यालय–भवन नं0–176 / 1 पुराना किला (नहर) लखनऊ का पत्र दिनांक 9–04–2015 जो माननीय राज्यपाल, उ0प्र0 को सम्बोधित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में उक्त पत्रों की छायाप्रति तथा संलग्नक सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश विवरणिका एवं पाठ्यकम कक्षा–10 एवं विवरणिका एवं पाठ्यकम कक्षा–12 मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव ।

प्रतिलिपि उप सचिव बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली प्रधान कार्यालय–भवन नं0–176 / 1 पुराना किला (नहर) लखनऊ के उनके पत्र दिनांक 9–4–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव ।

समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या : 26490 प्रवेश अनुभाग

दिनांक 12/8/2015

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

सेवा में,

उप सचिव,
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली
केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रधान कार्यालय प्रान्तीय
भवन नं0 176/1 पुराना किला (नहर),
लखनऊ, उ0प्र0–226001

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या BHSE/RECOG/ADmin/0704/2015 दिनांक 07.04.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में प्रकरण प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 27.04.2015 में बिन्दु संख्या–5 द्वारा लिय गये निर्णय के कम में मा0 कुलपति जी ने बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकण्डरी परीक्षा सार्टिफिकेट को विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सो में प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भवदीय,

12/8/15

उपकुलसचिव(प्रवेश)

पत्र संख्या.............................. दिनांक..............................

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय, ल0वि0वि0।
02. प्रो0 आर0के0 सिंह, समन्वयक स्नातक/परास्नातक/पी–एच0डी0 प्रवेश 2015 ल0वि0वि0।

उपकुलसचिव(प्रवेश)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 2ND FLOOR, 5-SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No. DHE 6(65)/2014-15/Complaints/pt.file/ 3494-98 Dated: 24

To

1. The Registrar, Guru Govind Singh Indraprastha University, Sector-16C, Dwarka, New Delhi.	2. The Registrar, Dr. B.R. Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006.
3. The Registrar, National Law University Sector-14, Dwarka, New Delhi.	4. The Registrar, Delhi University, Chhatra Marg, Maurice Nagar, Delhi-110007.

Sub: Forwarding of request to circulate amongst the related Universities.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a letter received from Dy. Secretary, Board of Higher Secondary Education, Delhi requesting therein to circulate amongst the Universities for acceptance of students pass out from their board for admission, the same is being forwarded for action in the matter at your end.

You are requested to inform the applicant accordingly.

Yours faithfully,

Encl: As above.

ADMINISTRATIVE OFFICER-I(HE)

Copy to:

1. The Dy. Secretary, Board of Higher Secondary Education, Regional Building No.176/1, Purana Killa (Nahar), Lacknow, U.P.226001.

راشٽريہ سنڌي ٻولي وڪاس پريشد

राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद

National Council for Promotion of Sindhi Language

Ministry of Human Resource Development / मानव संसाधन विकास मंत्रालय

Government of India / भारत सरकार

[illegible] Wing No. 7, Ist Floor, R.K. Puram, New Delhi - 110066
Tel: 011-26180104-07 Fax: 011-26180109
e-mail: ncpsl.delhi@gmail.com, www.ncpsl.gov.in

F.No.4-7/NCPSL/2012-13

Dated: 18th July 2012

To

The Director, Board of Higher Secondary Education,
Government Registered Head Office,
Rajputana Lal Bhawan, Gopalpur Gaon, (Timarpur),
Post-Azadpur, Delhi-110009
Ph.9953005036, 08171768817

Sub: Regarding registration of the organization named "Board of Higher Secondary Education" under the Scheme of Sindhi Language Learning Course (SLLC)

Sir,

Please refer to your letter No. B.H.S.E.D/109/012 dated 12.07.2012 regarding registration of the said organization under the scheme of Sindhi Language Learning Course (SLLC) of National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL).

I am pleased to inform that your organization has been registered vide Regd. No.54/NCPSL-2006 under the scheme of SLLC of NCPSL. The list of students may please be sent by 25.07.2012.

Yours faithfully

(Nirmal K. Goplani)
Director

कुल सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

Case :- WRIT - A No. - 42531 of 2016

Petitioner :- Devesh Kumar And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Anoop Trivedi
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.

Heard Sri Vibhu Rai, learned counsel for the petitioners and Sri Sriprakash Mishra, learned Standing Counsel for the respondents.

The petitioners are seeking a direction to the respondents to consider their claim for appointment under the Uttar Pradesh Police Department/Police Constable and Constable (Male) Direct Recruitment-2015 by treating their Class-X and XII certificates issued by the Board of Higher Secondary Education, Delhi in the year 2008 and 2010 to be valid and recognised.

It is stated that the petitioner no. 1 has done his X in 2012 and XII in 2014 from the Board of Higher Education, Delhi and the petitioner no. 2 has also done his X and XII from the Board of Higher Education, Delhi. It is stated that the respondents however, declined to recognise the certificates on the ground that the said Board has been now de-recognised by the U.P. Government Order dated 8.3.2014. The submission is that the Board was derecognised on 8.3.2014, therefore, certificates issued prior to that date cannot be said to be invalid.

No useful purpose would be served in keeping the petition pending.

This writ petition is therefore, **disposed of** with the consent of learned counsel for the parties with a direction to the respondent no.2-Chairman, U.P. Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow to examine the matter in the light of the observations made above and pass appropriate orders in accordance with law within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order in his office.

It is made clear that the Court has not adjudicated the claim of the petitioner on merits.

Order Date :- 23.9.2016

o.k.

AUTHENTICATED COPY